प्रेस नोट 07/08/2019

<u>शांति भंग की आशंका में 64 व्यक्ति गिरफ्तार–</u>

दिनाक 06.08.2019 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में रोड के किनारे शराब पीने वालों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों को, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों को, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों को, थाना घोसी पुलिस द्वारा 17 व्यक्तियों को, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों को, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों को, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मधुबन पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों को, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 11 व्यक्तियों को, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों को, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>दहेज हत्या में एक महिला सहित 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 07.08.19 को देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना मधुबन पुलिस द्वारा हसनपुर गैस एजेन्सी के पास से मु0अ0सं0 361/19 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त हवलदार व रामलाल पुत्रगण लेरु, राजमणि पत्नी लेरु निवासीगण हसनपुर थाना मधुबन मऊ व थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 119/19 धारा 498ए,306 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्त अजय कुमार व श्रवण कुमार पुत्रगण घूरा निवासीगण बेलौंझा थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>एक वांछित व 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 07.08.19 को, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 194/19 धारा 380,411 भादवि में वांछित अभियुक्त संदीप पुत्र मुन्नीलाल निवासी भातकोल थाना मुहम्मदाबाद व वारंटी अभियुक्त विजयी राम निवासी खलिसा व रामानन्द निवासी परहां थाना मुहम्मदाबाद व थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रामजी सिंह निवासी भदेसरा व चन्द्रिका निवासी भटकुआं पट्टी थाना दक्षिणटोला मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 07.08.19 को पुलिस लाईन के सभागर कक्ष में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा जनपद के बैंको से सम्बन्धित ग्राहक सेवा केन्द्रों, स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनेंस एवं अन्य के कर्मचारियों के उपस्थिति में गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें उनकी सुरक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में विस्तापूर्वक चर्चा की गयी तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित दिशा–निर्देश दिये गये–

1. जब भी कलेक्शन पर जायें स्थानीय पुलिसकर्मियों को सूचित करें व उनसे सहयोग प्राप्त करें।

2. कलेक्शन के दौरान अपने आने–जाने वाले वाहनों में रियर व्यू मिरर अवश्य लगाकर चलें जिसे लगातार पीछा करने वाले संदिग्धों पर दूर से नजर रख सकें तथा किसी प्रकार के संदेह की स्थिति में भीड़भाड़ वाले इलाकों पर रुककर 100 नम्बर या स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

3. स्थानीय थाना क्षेत्र के पुलिस/हलका के उपनिरीक्षक व बीट के आरक्षियों से समन्वय स्थापित कर सहयोग प्राप्त करें।

4. माइक्रो फाइनेंस में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन उनके पते से प्रत्येक दशा में कराने हेतु बताया गया एवं गोष्ठी में उपस्थित सम्बन्धित थानों के उपनिरीक्षक को भी निर्देशित किया गया कि इनका सत्यापन अवश्य करा लें।

5. ग्राहक सेवा केन्द्रों में दैनिक लेन–देन के स्थानों पर लोहे के ग्रिल के काउंटरदार खिड़की एवं सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवा लें।

6. समूह से नगद कैश कलेक्शन करते समय अपने साथ कम से कम दो और कर्मचारी को साथ लेकर चलें।

7. भारी मात्रा में कैश ले आने तथा ले जाने पर सम्बन्धित थाना स्थानीय पर हर दशा में सूचित करें।